न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

प्रा0पत्र संख्या–13/2022
प्रा0पत्र प्रविष्टि दिनांक–24.03.2022
निर्णय दिनांक–12.06.2024

श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना निवासी ग्राम कल्याणपुरा तह0 पीपलू जिला टोंक (राज0)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख0न0 113, 160, 163, 165, 168, 169, 175, 194, 197, 227, 357, 97 कुल किता 12 कुल रकबा 5.9053 हैक्ट. वाके ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थिया का 1/48 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रखा है। जिसका प्रार्थिया बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि सुरेश जाति मीना अंकित हो रखा है। जबकि प्रार्थिया का सही एवं वास्तविक नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना है। प्रार्थिया ने उक्त भूमि के हिस्सा 1/48 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2020 को खरीद किया था तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना ही अंकित है। लेकिन इस विक्रय का नामान्तकरण भरते समय संहवन से प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि सुरेश जाति मीना दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थिया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदि सभी दस्तावेजात में प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना सही रूप से अंकित हो रखा है। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 113, 160, 163, 165, 168, 169, 175, 194, 197, 227, 357, 97 कुल किता 12 कुल रकबा 5.9053 हैक्ट. वाके ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का सन्देडा में प्रार्थिया का नाम गलत रूप से श्योप्यारी पत्नि सुरेश जाति मीना के स्थान पर प्रार्थिया का सही नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना अंकित करवाया जावे।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम कल्याणपुरा में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 15 में क्र.स. 11 पर श्योप्यारी पत्नि सुरेश हि. 1/48 जाति मीना सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त हिस्सा प्रार्थीया के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आया है। जिसमें प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना है। लेकिन नामान्तकरण एल.आर.सी. कम्प्यूटर पर दर्ज करते समय संहवन से श्योप्यारी पत्नि रमेश के स्थान पर श्योप्यारी पत्नि सुरेश दर्ज हो गया, जो की गलत है। अतः मुताबिक दस्तावेज, विक्रय पत्र के श्योप्यारी पत्नि सुरेश के स्थान पर श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना किया जाना उचित है।

अधिवक्ता प्रार्थिया ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। अधिवक्ता प्रार्थिया ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 113, 160, 163, 165, 168, 169, 175, 194, 197, 227, 357, 97 कुल किता 12 कुल रकबा 5.9053 हैक्ट. वाके ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का सन्देडा तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थिया का 1/48 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो रखा है। जिसका प्रार्थिया बहैसियत मालिक, स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि सुरेश जाति मीना अंकित हो रखा है। जबकि प्रार्थिया का सही एवं वास्तविक नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना है। प्रार्थिया ने उक्त भूमि के हिस्सा 1/48 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22.06.2020 को खरीद किया था तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में भी प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना ही अंकित है। लेकिन इस विक्रय का नामान्तकरण भरते समय संहवन से प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि सुरेश जाति मीना दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थिया के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आदि सभी दस्तावेजात में प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना सही रूप से अंकित हो रखा है। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं लिपिकीय भूल के कारण हुई है। जिसको सही किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर भूमि आराजी ख0न0 113, 160, 163, 165, 168, 169, 175, 194, 197, 227, 357, 97 कुल किता 12 कुल रकबा 5. 9053 हैक्ट. वाके ग्राम कल्याणपुरा, पटवार हल्का सन्देडा में प्रार्थिया का नाम गलत रूप से श्योप्यारी पत्नि सुरेश जाति मीना के स्थान पर प्रार्थिया का सही नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना अंकित करवाया जावे।

अप्रार्थी ने अपनी बहस में बताया की तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया की ग्राम कल्याणपुरा में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या 15 में क्र.स. 11 पर श्योप्यारी पत्नि सुरेश हि. 1/48 जाति मीना सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त हिस्सा प्रार्थीया के नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आया है। जिसमें प्रार्थिया का नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना है। लेकिन नामान्तकरण एल.आर.सी. कम्प्यूटर पर

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

दर्ज करते समय संहवन से श्योप्यारी पत्नि रमेश के स्थान पर श्योप्यारी पत्नि सुरेश दर्ज हो गया, जो की गलत है। अतः मुताबिक दस्तावेज, विक्रय पत्र के श्योप्यारी पत्नि सुरेश के स्थान पर श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना किया जाना उचित है।

हमने पत्रावली व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, संलग्न विक्रय पत्र व तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया व उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। विक्रय पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थिया का सही नाम श्योप्यारी पत्नि रमेश जाति मीना है, लेकिन विक्रय पत्र का नामान्तकरण भरते समय श्योप्यारी पत्नि सुरेश अंकित कर दिया गया है। उक्त त्रुटी संहवनीय एवं एक लिपिकीय त्रुटी है। जिसको दुरूस्त किया जाना उचित है। लेकिन प्रार्थीया ने उक्त दुरूस्ती हेतु अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत् आवेदन पेश किया है। उक्त त्रुटी धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत् कवर नही होती है। उक्त त्रुटी की दुरूस्ती के लिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के नामान्तकरण की अपील की जानी चाहिए थी। लेकिन धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत् शुद्धी की प्रक्रिया विधिक रूप से उचित नही है। प्रार्थीया का धारा 75 के तहत् अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। अतः अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना धारा 136 एल.आर.एक्ट. के तहत् कवर नही होने से प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

(कपिल [illegible])
उपखण्ड अधिकारी, पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner